भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2584

04 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

रेत खनन पर प्रतिबंध

2584. श्री रेबती त्रिपुराः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में रेत खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध को विनियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से त्रिपुरा में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निकट भविष्य में ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए योजना परिव्यय और कार्यान्वयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : जी, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ड.) के तहत बालू एक गौण खनिज है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 में राज्य सरकारों को गौण खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने हेतु नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग में भी राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उनसे जुड़े प्रयोजनों हेतु नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार, गौण खनिजों का विनियमन राज्य स्तर पर किया जाता है। खान मंत्रालय ने राज्यों में प्रचलित सर्वोत्तम पद्धतियों और बालू खनन में सततता, उपलब्धता, किफायतता और पारदर्शिता के उद्देश्यों पर आधारित सुझावों को शामिल करते हुए, राज्य के खनन विभागों के साथ विचार-विमर्श से एक 'बालू खनन ढ़ांचा' तैयार किया है। 'बालू खनन ढ़ांचा' सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है।

*****